भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.451
02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय- कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं

451. डॉ. गुम्मा तनुजा रानीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की संख्या कितनी है तथा उन महिलाओं की संख्या कितनी है जो अवैतनिक रूप में परिवार में कार्य कर रही हैं अथवा जिनके पास औपचारिक भूमि स्वामित्व नहीं है;
(ख) सरकार द्वारा भूमि स्वामित्व के बिना महिला किसानों को न्यूनतम मजदूरी, ऋण, बीमा और कल्याणकारी योजनाओ का लाभ प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) तथा इसी प्रकार की केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार पंजीकृत महिलाओं की संख्या कितनी है; और
(घ) महिला और पुरुष की मजदूरी में अंतर को कम करने, तकनीकी और विस्तार सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने और महिलाओं को स्वतंत्र रूप से किसान के तौर पर औपचारिक पहचान दिलाने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) सरकार मौजूदा पात्रता नियमों के अनुसार, महिला किसानों सहित किसानों के लिए कई योजनाएँ लागू कर रही है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। 25 नवंबर, 2025 तक, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के 16.25 करोड़ से अधिक श्रमिक इस पोर्टल पर पंजीकृत हैं, जिनमें 8.04 करोड़ से अधिक महिला श्रमिक शामिल हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 76.9% महिलाएँ और शहरी क्षेत्रों में 12.3% महिलाएँ और कुल 64.4% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत है।

(ख) वेतन संहिता, 2019 सभी श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन कवरेज सुनिश्चित करती है, जिसमें भूमि स्वामित्व विहीन महिला किसानों जैसे असंगठित श्रमिक भी शामिल हैं। यह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को न्यूनतम वेतन निर्धारित करने और संशोधित करने का अधिकार देती है और इसमें लैंगिक समानता संबंधी प्रावधान शामिल हैं जो समान या एक जैसे कार्य के लिए असमान वेतन भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं।

(ग) डीएवाई-एनआरएलएम की एक उप-योजना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) का उद्देश्य महिला सामुदायिक संस्थाओं को सुदृढ़ करके और सतत कृषि, उन्नत पशुधन प्रबंधन, तथा वैज्ञानिक तरीके से गैर-काष्ठ वनोपज (एनटीएफपी) की खेती/संग्रहण को बढ़ावा देकर कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाना है। डीएवाई-एनआरएलएम और एमकेएसपी के अंतर्गत, 4.86 करोड़ महिला किसान परिवारों को कृषि-पारिस्थितिकी और उन्नत पशुधन प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने में सहायता प्रदान की गई है (**अनुबंध पर संलग्न**)।

(घ) डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों में से 3 लाख से अधिक सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है और उन्हें महिला किसान परिवारों को सहायता एवं विस्तार सेवाएँ प्रदान करने के लिए तैनात किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बीच सहयोग से, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 70,021 कृषि सखियों को कृषि पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षित और प्रमाणित किया गया है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग, पशुधन स्वास्थ्य एवं विस्तार सेवाएँ प्रदान करने, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए पशु सखियों को एएचईएलपी (पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य एवं विस्तार हेतु मान्यता प्राप्त एजेंट) के रूप में मान्यता देता है।

फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (एफएमटीटीआई), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) के माध्यम से महिला किसानों को अनुकूलित कार्यक्रमों और क्षेत्रीय प्रदर्शनों के माध्यम से महिलाओं के अनुकूल औजारों और उपकरणों पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) योजना के तहत, महिला किसानों को कृषि मशीनरी पर 50% सब्सिडी मिलती है।

आत्मा कार्यक्रम, जो कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई) का एक भाग है, के अंतर्गत महिलाओं सहित सभी किसानों के लिए कृषि विस्तार गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। यह योजना 28 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों के 734 जिलों में संचालित की जाती है, और राज्यों को नवीनतम कृषि तकनीकों और सर्वोत्तम पद्धतियों को लागू करने में सहायता हेतु अनुदान सहायता प्रदान करती है। आत्मा के दिशानिर्देशों के अनुसार, कम से कम 30% संसाधन महिला किसानों और महिला विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित हैं।

कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के माध्यम से सरकार, सभी राज्यों में महिला किसानों सहित विस्तार अधिकारियों और किसानों, दोनों के लिए प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, प्रदर्शनों और क्षमता निर्माण के माध्यम से नई कृषि और संबद्ध तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - केंद्रीय कृषि महिला संस्थान (आईसीएआर-सीआईडब्ल्यूए), भुवनेश्वर प्रौद्योगिकियों और सूचना तक बेहतर पहुँच के लिए कृषि से संबद्ध महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करता है और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है, और आर्थिक स्वतंत्रता को मज़बूत करने के लिए स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देता है।

*****

अनुबंध

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) योजना में एग्रो-इकोलॉजिकल प्रैक्टिस (एईपी) के तहत कवर की गई राज्य-वार महिला किसानों की जानकारी निम्नलिखित है:

(लाख में)

क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**अक्टूबर 2025 तक महिला किसान (एईपी)**
1.	अंडमान और निकोबार	0.03
2.	आंध्र प्रदेश	50.34
3.	अरुणाचल प्रदेश	1.19
4.	असम	32.39
5.	बिहार	48.26
6.	छत्तीसगढ	13.88
7.	गोवा	0.09
8.	गुजरात	20.48
9.	हरियाणा	0.91
10.	हिमाचल प्रदेश	3.37
11.	जम्मू और कश्मीर	5.52
12.	झारखंड	24.24
13.	कर्नाटक	26.98
14.	केरल	8.88
15.	लद्दाख	0.03
16.	मध्य प्रदेश	22.42
17.	महाराष्ट्र	45.41
18.	मणिपुर	0.24
19.	मेघालय	2.57
20.	मिजोरम	0.69
21.	नागालैंड	0.95
22.	ओड़िशा	26.66
23.	पुदुचेरी	0.26
24.	पंजाब	2.23
25.	राजस्थान	25.82
26.	सिक्किम	0.40
27.	तमिलनाडु	22.39
28.	तेलंगाना	30.86
29.	त्रिपुरा	3.33
30.	उत्तर प्रदेश	36.04
31.	उत्तराखंड	4.02
32.	पश्चिम बंगाल	25.46
	कुल	**486.34**

*****